न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 870 / 2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र हरदत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. हरदत पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दीपा किरण पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी **वादी**
2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 12/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 133/129 की कुल 7.3370हैक्‍ भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 124/117 की कुल 1.2650हैक्‍ भूमि तथा रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 2.5550हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी को दे दी व रोही मौजा चक 19 एनटीआर की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने प्रतिवादी स0 2 को तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादी स0 3 का जो हक व हिस्सा था वो उसने प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 3 का वाद भूमि में अब कोई हक हिस्सा शेष नही रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है। बाद हक त्याग वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजाा 15 एनटीआर खाता स0 133/129 जमाबंदी सम्वत 2072–2075 ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजाा 25 डीपीएन खाता स0 124/117 जमाबंदी सम्वत 2070–2073 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रोही मौजाा 19 एनटीआर खाता स0 5/5 जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ईएक्सपी–3, पर्चा खतौनी ईएक्सपी–4 आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादी स0 3 का जो हक व हिस्सा था वो वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा चक 25 डीपीएन की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने वादी को दे दी व रोही मौजा चक 19 एनटीआर की भूमि प्रतिवादी स0 1 ने प्रतिवादी स0 2 को तथा रोही मौजा चक 15 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली । वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही 15 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 133/129 की कुल 7.3370हैक्ट भूमि व रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 124/117 की कुल 1.2650हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 2.5550हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त [illegible] की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित [illegible] व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी [illegible] भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 124/117 की कुल 1.2650हैक भूमि का प्रतिवादी स0 1 ने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 2.5550हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 870/2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र हरदत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. हरदत पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. श्रवण कुमार पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दीपा किरण पुत्री हरदत सिंह जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादी श्री मांगीराम बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा 25 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 124/117 की कुल 1.2650हैक भूमि का प्रतिवादी स0 1 ने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 5/5 की कुल 2.5550हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:33 IST
Reason: SelfAttested